

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं.
.....दिनांक.....
2. (i) अधिनियम:- धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0
(ii) अधिनियम धारायें
(iii) अधिनियम धारायें
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें(अ)
3. योजनामचा आम रपट संख्या 274..... समय 5:35 pm.....
(ब) अपराध घटने का दिन- सोमवार, दिनांक 10.01.2022 समय 05.33 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय पीएम
4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित
5. घटनास्थल :- ढाणी जालपाला, (गैसकान), पुलिस थाना भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब उत्तर दिशा करीब 75 किमी
(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
- 6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम- श्री संजय कुमार चौधरी
(ब) पिता/पति का नाम- स्व. श्री कैलाश चंद चौधरी
(स) जन्म तिथी- उम्र- 23 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता - भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय - खेतीबाड़ी।
(ल) पता- निवासी ढाणी जालपाला (गैसकान), पो. भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
(1) श्री विहान कुमार रावत पुत्र श्री भगवान सहाय रावत, उम्र 30 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम श्यामपुरा, थाना विराटनगर, जयपुर हाल सहायक-द्वितीय, फीडर इंचार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आंतेला मुख्यालय भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
(2) श्री विक्रम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी उम्र 25 वर्ष, जाति सैनी, निवासी ढाणी गैसकान भाभरू, थाना भाभरू, जिला जयपुर हाल बिजली का कार्य (प्राइवेट व्यक्ति)।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).
.....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य- 15,000 रुपये लिप्त सम्पत्ति
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-



दिनांक 4-01-2022 को परिवारी श्री संजय कुमार चौधरी पुत्र स्वं श्री कैलाश चंद चौधरी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ढाणी जालपाला (गैसकान), पो. भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश करी कि “श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर विषय रिश्वत लेते हुए रगे हाथ पकड़वाने के बाबत। महोदय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे चाचाजी श्री सोहन लाल जाट तथा हम लोग एक साथ हमारे खेत पर बने हुए दो कमरो मे सयुक्त परिवार के रूप मे रहे है, हमारे उक्त घर पर घरेलु लाईट का कनेक्शन नही है। उक्त घर पर लाइट का कनेक्शन मेरे चाचाजी श्री सोहन लाल जाट जी के नाम से लेने हेतु मै हमारे गांव के पास विधुत विभाग भाबरू जाकर मिले थे जहाँ पर लाइनमैन श्री विहानरावत मीला जिसने हमारे कनेक्शन की फाइल मैरे से ले ली तथा फाइल का खर्चा 2000 रू दिनांक 21-12-2021 को ले लीये इसके बाद मै उक्त लाईनमैन से मिला तो उसने दिनांक 24-12-2021 को विधुत विभाग में फाइल जमा करवाने की 100 रूपया की रसिद मुझे दे दी थी मैने कनेक्शन के बारे मे उनसे पुछा तो उक्त लाईनमैन ने डिमाण्ड नोटिस के पेसे जमा करवाने के अलावा 25,000 रूपया रिश्वत के मांगे है। मेने कनेक्शन हेतु कहाँ तो उक्त लाइनमैन ने कहाँ की श्रमछ साब मेरे भाई लगते है इसलीये सारी जिमेदारी मेरी है, मेने सबसे बात कर रखी है। उक्त भ्रष्ट लाइनमैन को रिश्वत नही देना चाहता कारवाई करने की कृपा करे। प्रार्थी एसडी/- संजय कुमार चौधरी S/O स्व श्री कैलाश चंद चौधरी ढाणि-जालपाला (गैसकान) पो. भाबरू, तह. विराटनगर जिला जयपुर राज. मो 6378741731 दिनांक 4-1-2022”। परिवारी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत का पाया जाने पर दिनांक 4-1-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिवारी से श्री विहान कुमार द्वारा 20000/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए 15000/- रूपये रिश्वत के पहले देने तथा शेष 5000/- रूपये डिमाण्ड नोटिस राशि जमा कराने के बाद देने हेतु कहा। उक्त रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडी तैयार की गई।

दिनांक 6-1-2022 को परिवारी श्री संजय कुमार चौधरी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवारी श्री संजय कुमार चौधरी ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। जिन पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवारी के समक्ष श्रीमती सुनीता महिला कानि0 43 से फिनोलिपथलीन पाउडर लगाया जाकर मांग के अनुसरण मे आरोपी को देने हेतु परिवारी श्री संजय कुमार चौधरी को सुपुर्द किए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोलिपथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परन्तु आरोपी द्वारा परिवारी के बिजली कनेक्शन का डिमाण्ड नोटिस जारी नही होने के कारण दिनांक 7-1-2022 को बुलाने के कारण परिवारी से रिश्वत के रूपये वापस प्राप्त कर एक लिफाफे मे रखकर कार्यालय की आलमारी में रखवाए गए।

दिनांक 7-01-2022 को समय 10.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवारी श्री संजय कुमार चौधरी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनो सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर भाबरू तहसील विराटनगर, जिला जयपुर पर पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया परन्तु आरोपी द्वारा किसी कार्य से व्यस्त होने के कारण परिवारी को सोमवार, मंगलवार को बुलाने का कहा। जिस पर वापस ब्यूरो कार्यालय आए।

दिनांक 10-1-2022 को आरोपी के द्वारा परिवारी को बुलाने पर समय 3.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमती सुनीता महिला कानि0 43 से कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखवायी गई रिश्वती राशि का लिफाफा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकलवाकर स्वयं के पास सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। समय 3.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ के ट्रेपबॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर भाबरू स्थित होटल हाईवे किंग के पास पहुंचे। जहां पर परिवारी श्री संजय कुमार चौधरी उपस्थित मिला। श्रीमती सुनीता महिला कानि0 43 से उसके बैग में रिश्वत के लिफाफे को निकलवाकर लिफाफे से रिश्वत के

15000/- रूपये निकलवाकर उनको पुनः गिनवाकर परिवारी को सुपुर्द किए जाकर परिवारी के घर के आस पास भाभरू पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 05.33 पीएम पर परिवारी श्री संजय कुमार चौधरी ने अपने मुंह पर से मास्क हटाकर निर्धारित ईशारा किया। परिवारी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक ने आस पास खड़े ब्यूरो स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाहान को ईशारा कर मेरे साथ लेते हुए परिवारी जो मकान के सामने रोड़ पर खड़ा हुआ के पास पहुंचकर परिवारी को पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित अपने पास रखा। परिवारी ने उसके पास खड़े हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह विहान रावत लाईनमैन है इसने मोटर साईकिल पर बैठे हुए व्यक्ति जिसका नाम विक्रम है को रिश्वत के 15000/- रूपये देने के लिए मुझे कहा तो मेने अपनी जेब से रिश्वत के 15000/- रूपये निकाल कर विहान रावत लाईनमैन के कहेनुसार उसके साथ आए हुए विक्रम को दे दिए है। जिसने अपने हाथो से गिनकर अपने बदन पर पहने हुए लोवर की बांयी जेब में रख लिए है। इस पर मोटर साईकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी मोटर साईकिल से उतरने लगा तो मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो व्यक्ति को अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए मुनासिब हिदायत देते हुए खड़े रहने के लिए कहा। इस पर परिवारी के बतायेनुसार मोटर साईकिल के पास खड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विहान कुमार रावत पुत्र श्री भगवान सहाय रावत, उम्र 30 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम श्यामपुरा, थाना विराटनगर, जयपुर हाल फीडर इंचार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आंतेला मुख्यालय भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम विक्रम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सेनी उम्र 25 वर्ष, जाति सैनी, निवासी ढाणी गैसकान भाभरू, थाना भाभरू, जिला जयपुर हाल बिजली का कार्य करना बताया। इस पर श्री विहान कुमार रावत फीडर इंचार्ज से मन् पुलिस निरीक्षक ने पूछा कि अभी-अभी श्री संजय कुमार चौधरी से 15000/- रूपये रिश्वत के विक्रम सैनी को किस बात के दिलवाए है तो श्री विहान कुमार रावत ने बताया कि मैंने डिमाण्ड नोटिस के 15000/- रूपये संजय कुमार चौधरी से विक्रम सैनी को दिलवाए है इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने विहान कुमार रावत लाईनमैन से पूछा कि नोटिस के कितने रूपये बनते है इस पर श्री विहान कुमार रावत ने बताया कि ग्यारह बारह हजार रूपये बनते है परन्तु डिमाण्ड नोटिस अभी जारी नही हुआ है। इस पर पास खड़े हुए परिवारी श्री संजय कुमार चौधरी ने श्री विहान कुमार रावत झूठ बोल रहा है इन्होने मुझे पहले चार साढ़े चार हजार रूपये डिमाण्ड नोटिस के जमा कराने के लिए कहा था। तत्पश्चात् श्री विहान कुमार के साथ आए हुए व्यक्ति श्री विक्रम सैनी से श्री संजय कुमार चौधरी से अभी-अभी 15000/- रूपये रिश्वत के लेने बाबत पूछा तो श्री विक्रम सैनी ने बताया कि मुझे अभी कुछ समय पहले श्री विहान कुमार रावत अपने साथ यह कहकर लाया था कि तार जोड़ने है परन्तु तार जोड़ने तो गया नही व संजय कुमार के घर मुझे लेकर आ गया था संजय कुमार चौधरी के मकान के सामने मोटर साईकिल रूकवाकर मेरे मोबाईल से संजय कुमार के मोबाईल पर फोन करवाया इस पर संजय कुमार अपने मकान के अन्दर से बाहर आया व श्री विहान कुमार रावत से बात करने लगा तथा विहान ने संजय कुमार से कहा कि डिमाण्ड नोटिस के रूपये मुझे देने के लिए कहा इस पर मैंने संजय कुमार से 15000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर तथा उन्हे गिनकर मेरे लोवर की बांयी जेब मे रख लिए है जो मेरे लोवर मे रखे हुए है। इस पर पास खड़े परिवारी संजय कुमार चौधरी से श्री विक्रम सैनी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि विक्रम सैनी झूठ बोल रहा है यह बिजली विभाग में विहान कुमार रावत फीडर इंचार्ज के साथ काम करता है। मुझसे रिश्वत के रूपये लेने के लिए साथ लेकर आया है। इसने तथा विहान रावत दोनो ने मेरे से रिश्वती राशि लेने के बाद यह कहा था कि यह रूपये देने वाली बात किसी को भी मत बताना नही तो तेरा कनेक्शन नही होगा।

तत्पश्चात परिवारी से पुनः पूछने पर बताया कि श्री विहान रावत ने मेरे घरेलु कनेक्शन लगवाने की ऐवज में पहले 25000/- रूपये रिश्वत के मांगे थे बाद में कम कराने पर 20000/- रूपये लेने के लिए विहान कुमार रावत ने कहा था इस पर 15000/- रूपये पहले तथा 5000/- रूपये डिमाण्ड नोटिस राशि जमा करने के बाद देने हेतु कहा था। इस पर मैं एवं आपके विभाग के कानि० श्री देवेन्द्र मेरी मोटर साईकिल से हाईवे किंग होटल से रवाना होकर मेरे घर पर आकर बैठ गए थे। कुछ समय बाद श्री देवेन्द्र सिंह कानि० ने आपके द्वारा दिया गया डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर दिया था जो मेरे पास था। इसके कुछ समय बाद ही श्री विक्रम सैनी ने अपने मोबाईल से मुझे फोन कर घर से बाहर बुलाया इस पर मैं मेरे घर के बाहर आया तब विहान कुमार रावत व विक्रम मेरे घर के बाहर मोटर साईकिल पर बैठे हुए थे विहान मोटर साईकिल से उतरकर रिश्वत के रूपये विक्रम

सैनी को देने के लिए मुझे कहा इस पर मैंने अपनी जेब से रिश्वत के 15000/- रुपये निकालकर विक्रम सैनी को दे दिए थे जिसने अपने दोनो हाथो से गिनकर अपने बदन पर पहने हुए लोवर की बांयी जेब में रख लिए थे उसके बाद मैंने आपको निर्धारित ईशारा कर दिया था।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर परिवारी के मकान से साफ पानी का जग मंगवाकर कांच के गिलासो को पुनः धुलवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी डालकर उसमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो हाजरीन गिलासो के घोल को देखकर रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास के तैयार शुदा घोल मे श्री विक्रम सैनी के बांये हाथ की अंगूली व अंगूठे को बारी-बारी से धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

इसी प्रकार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री विक्रम सैनी के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवारी के बतायेनुसार रिश्वत के रूपये विहान कुमार रावत फीडर इंचार्ज के कहने पर विक्रम सैनी द्वारा अपने हाथ में लेकर अपने बदन पर पहनी हुई लोवर की बांयी जेब मे रखे है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री रणजीत सिंह से श्री विक्रम सैनी के बदन पर पहने हुए लोवर की बांयी जेब की तलाशी लिवाई गई तो लोवर की जेब से पांच पांच सौ रूपये के नोटो की छोटी गड्डी मिली। जिसको स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15000/- रूपये होना पाए गए। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के नम्बरो से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटो को एक सफेद कागज मे रख कर सिल चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे कार्यालय कक्ष में रखे केम्पर से साफ पानी लेकर पुनः धुलवाकर उसमे केम्पर से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे श्री विक्रम सैनी के बदन से उतरवाए गए लोवर की बांयी साईड की जेब को उलटवाकर उक्त गिलास के घोल मे बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा लोवर की जेब को सुखवाकर लोवर को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर मार्क-पी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।


विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड्स को बारी-बारी चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमे रिश्वत लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिसका नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गयी।

समय 8.20 पीएम पर परिवारी के कार्य से संबंधित विद्युत कनेक्शन की पत्रावली आवेदक सोहन लाल जाट पुत्र श्री नारायण जाट निवासी ढाणी जालपाला (गैसकान) पो. भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर की मूल पत्रावली कार्यालय सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल, विराटनगर, जिला जयपुर से श्री बंशीधर पूनिया तकनीकी सहायक लेकर के उपस्थित आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें पृष्ठ संख्या 01 एवं 02 पर आवेदन फार्म, पृष्ठ संख्या 03 पर तकमीना फार्म, पृष्ठ संख्या 04 व 05 पर शपथ पत्र एवं पृष्ठ संख्या 06 पर जमाबंदी की फोटो प्रति, पृष्ठ संख्या 07 पर आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं पृष्ठ संख्या 08 राशन कार्ड की फोटो प्रति एवं पृष्ठ संख्या 09 पर बैंक पास बुक की फोटो प्रति तथा पृष्ठ संख्या 10 पर वोटर आईडी की फोटो प्रति लगी हुई है। उक्त पत्रावली के क्रम मे मौके पर उक्त पत्रावली पेशकर्ता श्री बंशीधर पूनिया, तकनीकी सहायक ने पूछने पर बताया कि आवेदक द्वारा ऑन लाईन पत्रावली का आवेदन ई-मित्र के मार्फत किया जाता है।

उसके बाद आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क संबंधित कार्यालय सहायक अभियंता मे जमा करवाया जाता है। इसके पश्चात् पत्रावली पर संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा तकमीना तैयार किया जाता है। इस पत्रावली मे कनिष्ठ अभियंता द्वारा तकमीना तैयार किया हुआ है। उक्त पत्रावली के तकमीने के अनुसार कनेक्शन हेतु मांग पत्र 2550/- रूपये का जारी होना था। अतः उक्त मूल पत्रावली से परिवादी के विद्युत कनेक्शन संबंधी कार्य होना शेष है। इसलिए उक्त श्री बंशीधर पूनिया तकनीकी सहायक द्वारा उक्त मूल पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करवाने पर मुताबिक फर्द जप्ती अभिलेख परिवादी के पैण्डिंग कार्य से संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।

उक्त कार्यवाही से श्री विहान कुमार रावत पुत्र श्री भगवान सहाय रावत, उम्र 30 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम श्यामपुरा, थाना विराटनगर, जयपुर हाल फीडर इंचार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आंतेला मुख्यालय भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर एवं श्री विक्रम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सेनी उम्र 25 वर्ष, जाति सैनी, निवासी ढाणी गैसकान भाभरू, थाना भाभरू, जिला जयपुर हाल बिजली का कार्य (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा आपसी मिली भगत कर परिवादी श्री संजय कुमार चौधरी के चाचा सोहन लाल जाट के मकान के घरेलु कनेक्शन दिलवाने की ऐवज में दिनांक 4-1-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन में श्री विहान कुमार फीडर इंचार्ज द्वारा 20000/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए 15000/- रूपये रिश्वत के पहले देने तथा शेष 5000/- रूपये डिमाण्ड नोटिस राशि जमा कराने के बाद देने हेतु कहा एवं मांग के अनुसरण मे आज 15000/- रूपये रिश्वत राशि परिवादी श्री संजय कुमार चौधरी से प्राप्त करने हेतु उसके मकान पर जाकर उसको फोन कर मकान के बाहर बुलाकर रिश्वत के 15000/- रूपये अपने साथी श्री विक्रम सैनी को दिलवाना तथा विक्रम सैनी द्वारा रिश्वत के 15000/- रूपये अपने हाथो मे लेकर उन्हे गिनकर अपने बदन पर पहने हुई लोवर की बांयी जेब में रखना तथा रिश्वती राशि विक्रम सैनी के लोवर की बांयी जेब से बरामद होना पाया गया है। जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी भा0दं0सं0 का पाया जाने पर श्री विहान कुमार रावत पुत्र श्री भगवान सहाय रावत, उम्र 30 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम श्यामपुरा, थाना विराटनगर, जयपुर हाल फीडर इंचार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आंतेला मुख्यालय भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर एवं श्री विक्रम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सेनी उम्र 25 वर्ष, जाति सैनी, निवासी ढाणी गैसकान भाभरू, थाना भाभरू, जिला जयपुर हाल बिजली का कार्य (प्राइवेट व्यक्ति) को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री विहान कुमार रावत पुत्र श्री भगवान सहाय रावत, उम्र 30 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम श्यामपुरा, थाना विराटनगर, जयपुर हाल सहायक-द्वितीय, फीडर इंचार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आंतेला मुख्यालय भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर एवं (2) श्री विक्रम सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सेनी उम्र 25 वर्ष, जाति सैनी, निवासी ढाणी गैसकान भाभरू, थाना भाभरू, जिला जयपुर हाल बिजली का कार्य (प्राइवेट व्यक्ति) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।



(मानवेन्द्र सिंह)

पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपी श्री विहान कुमार रावत, हाल सहायक-द्वितीय, फीडर इंजार्च, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आंतेला मुख्यालय भाभरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर एवं श्री विक्रम सैनी प्राईवेट व्यक्ति एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 07/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


11.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 58-62 दिनांक 11.01.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, कं.स.-1
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विराटनगर जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।


11.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।